

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
27/05/2025 18:30 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Tuesday

Date from (दिनांक से):

27/05/2025

Date To (दिनांक तक):

27/05/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar
4

Time From (समय से): 11:30
hrs

Time To (समय तक): 11:30
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):
27/05/2025

Time (समय): 17:50
hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014

Date and Time
(दिनांक और समय):
27/05/2025 18:12
hrs



4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence
(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 60 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र सोनीपत

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): नरेश

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री प्रेम सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव बैयापूर जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव बैयापूर जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9813902951

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	ASI मुकेश			1. थाना इन्फोरसमेंट ब्यूरो, सोनीपत SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No.
(क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उपकेन्द्र सोनीपत
श्रीमानजी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं नरेश पुत्र प्रेम सिंह गांव बैयापुर जिला सोनीपत का स्थाई निवासी हूँ और मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूँ। मेरा खेत मेरे गांव के नजदीक है। मैंने अपने खेत में पहले दूध की डेयरी कर रखी थी। मेरा पैतृक पुराना मकान गांव के बिच भीड़-भडाके में है। इसलिए मैंने व मेरे भाई सुरेश ने वर्ष 2024 में चिनाई लगाकर अपने

खेत में अपना-अपना मकान बना लिया। जिस किले में हमने मकान बनाया है। वह किला रिकार्ड अनुसार मेरे, मेरे भाई सुरेश व मेरी दो बहने अनीता व सुषमा के नाम है। उसके बाद DTP कार्यालय सोनीपत से दिनांक 03.01.2025 को हमारे नाम अवैध तरीके से मकान बनाने बारे एक नोटिस आया। फिर कुछ दिन बाद हमारे घर ASI मुकेश आया जिसने बताया कि मैं थाना इन्फोर्समेन्ट सोनीपत से आया हूँ। आपने अपने खेत में अवैध तरीके से घर बना लिया है। इस बारे हमारे थाने में DTP कार्यालय सोनीपत से लैटर आया है आप अपने खेत में बनाये मकान के कागजात मेरे को दे दो नहीं तो आपका मकान गिरवा दूंगा उसके बाद मैंने अपनी जमीन की जमाबन्दी निकलवाकर व अन्य कागजात मुकेश थानेदार को दे दिये। कुछ दिन बाद मुकेश थानेदार सांय को हमारे घर आया और कहने लगा की आपके खिलाफ गलत तरीके से मकान बनाने बारे इन्फोर्समेन्ट थाना में मुकदमा दर्ज है जिसकी कानूनी कार्यवाही मैं कर रहा हूँ उसके बाद मुकेश थानेदार ने मेरा व मेरे भाई सुरेश व हमारे गांव के जानकार देवेन्द्र व सचिन का आधार कार्ड लिया और कुछ कागजात पर हमारे हस्ताक्षर करवाये फिर उसने कहा की मैंने आपको पुलिस बैल पर छोड़ दिया है। इस इस जमीन में आपकी बहने भी मालिक है। इसलिए उनको भी अरेस्ट करके पुलिस बैल पर छोड़ना पड़ेगा। फिर एक दिन मुकेश थानेदार का फोन आया की मैं खरखौदा हूँ आप भी खरखौदा आ जाओ आपकी बहनों के भी साईन करवाकर लाने है फिर मैं खरखौदा गया और हम गांव डीघल जिला झज्जर में अपने बहनों के घर पहुंचे वहां पर उनके कागजात लिये और कुछ कागजात पर उनके साईन करवाये उसके बाद हम वापिस आ गये उसके कुछ दिन बाद थानेदार हमारे घर आया और मेरे से कहने लगा की मैं आपकी कोर्ट में पकी बैल करवा दूंगा और आपका मकान गिरवाउंगा नहीं इसके बदले आपने मेरे को 50,000/- रुपये देने होंगे। मैंने कहा की मैंने अपना अभी अभी मकान बनाया है। इसलिये फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अपनी फसल काटकर आपसे पैसे दे दूंगा। उसके बाद दिनांक 23/5/2025 को मुकेश थानेदार हमारे घर आया और कहने लगा की आब तो नाज-पात उठा लिया है। और टाईम तो बहुत दे दिया मैंने आपको मैंने कहा पूरा दे दिया भाई साहब मुकेश थानेदार ने कहा की मैं भी अब तक रुका हुआ हूँ फिर मैंने कहा की 20,000 हजार दे दूँ आपको इसपर थानेदार ने कहा की गलत ना बता राखे तेरे को मैंने कहा की भाई साहब मैं भी नरम आदमी हूँ जोड़ तोड़ करके काम चला रहा हूँ फिर मुकेश थानेदार ने कहा की चल और 10 घाट दे दिये 40 हजार दे दिये तेरा सारा काम निपटा राखा है। काम बहुत कर राखा है तेरा सांज ने पहुंचा दिये पैसे मैंने कहा की करता हूँ जुगाड तो थानेदार ने कहा कि सदर की तरफ चकर मार दिये मैंने अब पैसे का इंतजाम कर लिया है आज उसने 40000 हजार रुपये रिश्तत राशी लेने के लिए बुलाया है मुकेश थानेदार रिश्तत राशी या तो खुद लेगा या आपने किसी जानकार के माध्यम से लेगा। मैं उस भ्रष्ट सरकारी पुलिस कर्मचारी को रिश्तत के पैसे नहीं देना चाहता हूँ। मेरे और ASI मुकेश थाना इन्फोर्समेन्ट सोनीपत के बीच रिश्तत मांगने की जो बातचीत हुई है उसकी कुछ रिकार्डिंग आपको बाद में पैनड्राईव में डालकर पेश कर दूंगा। उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

नरेश पुत्र श्री प्रेम सिंह

गांव बैयापूर जिला सोनीपत

दिनांक 27.5.25

9813902951

कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 27/5/25 को मैं अपने सहयोगी स्टाफ ASI संदीप 79/दादरी L/ASI रेनू 1581/SPT, EASI राकेश 877/SPT, EHC राजेश 1307/PPT, L/HC हेमलता 1437/PPT, EHC संदीप 637/SPT, के बा सवारी गाडी सरकारी/प्राईवेट जिसका चालक ESI सुभाष 1118/SPT हाजिर कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत हूँ जो नरेश S/O प्रेमसिंह वासी गांव बैयापूर जि0 सोनीपत ने मेरे सम्मुख उपरोक्त लिखित दरखास्त पेश की ओर डिवाईस में आरोपी ASI मुकेश थाना इन्फोर्समेन्ट ब्यूरो सोनीपत द्वारा रिश्तत बारे रिकार्डिंग को सुनाया गया जो दरखास्त एवं रिकार्डिंग के मजबुत से मामला सरेदस्त जुर्म 7 PC ACT का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त C अशोक 759/भिवानी के भ्र0नि0ब्यूरो रोहतक भेजा जा रहा है बाद करने दर्ज अभियोग नम्बर पर्चा से सूचित किया जाए ओर स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट को भेजी जाए एक दरखास्त बराये नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी व कर्मचारी ई-मेल माध्यम से पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो रोहतक भेजी गई है जो बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी से सम्पर्क करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी अज-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत हस्ता अंग्रेजी Kavita निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत दिनांक 27.5.25 समय 11.30 AM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 16 दिनांक 27.05.25 धारा 7 P.C Act थाना भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त सिपाही अशोक कुमार न0 759/भिवानी की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक जगपाल न0 288/11 की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Kavita Rank (पद): I (Inspector)
Dalal

No. (सं.): LINSF to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



J Singh

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): JAGPAL SINGH

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं.): 288/H

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):